



कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)
जलेब चौक, जयपुर।

ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141-2612593

Website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक:-प.37(2326)गृरमु/पीएसएएल/2020/11049-51 दिनांक:- 12 OCT 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स : ब्रैवहार्ट सिक्यूरिटी सर्विसेज लाईसेन्स संख्या 216/CDHG HQ (S-Cell)/2012 दिनांक 18.07.2012 वैधता 01.07.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) द्वारा पूर्व लाईसेन्स अवधि (2014 से 2019) में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 का उल्लंघन करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19142 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब 22.08.2019 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुज्ञाधारक द्वारा बताया गया कि भविष्य में सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी। अभिकरण द्वारा नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5424 दिनांक 23.04.2020 द्वारा गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, बीकानेर को पत्र जारी किया गया। गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, बीकानेर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9251-52 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा उक्त लाईसेन्स को एक माह के लिये निलम्बित किया जाकर कार्यालय पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 9255-56 दिनांक 03.07.2020 द्वारा अनुज्ञाधारक श्री ओमप्रकाश राणा को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 18.09.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अभिकरण द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई अधिकतर अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है व वर्तमान में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमों की पालना की जा रही है। अतः उक्त अभिकरण के लाईसेन्स 216/CDHG HQ (S-Cell)/2012 दिनांक 18.07.2012 वैधता 01.07.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को पुनः बहाल किया जाता है।

(यू.आर. साहू IPS)

नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)

जयपुर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्री ओमप्रकाश राणा पुत्र श्री नानक चन्द निवासी मकान नं-1854, सेक्टर-29 अमन विहार, नोयडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश व कार्यालय पता जे-18, ग्राउण्ड फ्लोर, जे. स्क्रीम, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर को भेजकर लेख है कि 30 दिवस की अवधि में शेष रही कमियों को पूर्ण कर मय दस्तावेज रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

(यू.आर. साहू IPS)

नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)

जयपुर